मेसर्स राशि स्ट्रीप्स प्रा. लि. ग्राम–पाराघाट एवं बेलटुकरी, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड आयरन एवं स्टील प्लांट – 1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 200 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 22 दिसम्बर 2011, को ग्राम–पाराघाट में जयरामनगर–कोटमी सुनार रोड के पास प्रस्तावित उद्योग स्थल में संपन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ई0 आई0 ए0 अधिसूचना 14.09.2006 के अंतर्गत् मेसर्स राशि स्ट्रीप्स प्रा. लि. ग्राम–पाराघाट एवं बेलटुकरी, तहसील–मस्तूरी, जिला–बिलासपुर (छत्तीसगढ) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड आयरन एवं स्टील प्लांट – 1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 200 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट के लिए, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल में लोक सुनवाई हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के परिपेक्ष्य में जिला कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा जन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 22 दिसम्बर 2011, समय दोपहर 12.00 बजे से, स्थान ग्राम–पाराघाट में जयरामनगर–कोटमी सुनार रोड के पास प्रस्तावित उद्योग स्थल मे श्री टी. के. वर्मा, अपर कलेक्टर, बिलासपुर की अध्यक्षता एवं डॉ0 सी0 बी0 पटेल क्षेत्रीय अधिकारी, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की सहभागिता में लोक सुनवाई प्रारंभ की गई।

अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जन समुदाय, जन प्रतिनिधियो तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जन सुनवाई के महत्व एवं उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए लोक सुनवाई के संबंध में छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अभी तक की गई कार्यवाही से जनसामान्य को अवगत कराया गया। जनसामान्य को यह भी अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के प्रकाशन दिनांक से लोक सुनवाई तिथि तक परियोजना स्थापना के संबंध में 07 सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां क्षेत्रीय कार्यालय, छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में प्राप्त हुई है। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई। साथ ही यह व्यवस्था दी गई कि लोक सुनवाई से सभी इच्छुक वक्ताओं को अपनी राय, सुझाव, विचार तथा आपत्तियां रखने के लिए पूरा–पूरा अवसर दिया जावेगा तथा सभी वक्ताओं के बोलने के पश्चात् ही लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त की जावेगी। साथ ही यह भी समझाईश दी गई कि जब वक्ता अपना वक्तब्य दे रहे हो तो उस समय कोई अन्य व्यक्ति व्यवधान न डाले व कोई टीका टिप्पणी न करें, तथा शांति व्यवस्था बनाई रखी जावें। यह भी बताया गया कि जो कोई व्यक्ति लिखित में अपना विचार, सुझाव, सहमति व आपत्ति आदि देना चाहे तो वे दे सकते है। ऐसे लिखित मे प्राप्त सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां की अभिस्वीकृति छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल, के क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दी जावेगी तथा उसे अभिलेख में लाया जावेगा।

......2

इसके पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा मेसर्स राशि स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को उद्योग के संबंध में सामान्य जानकारी के साथ पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में किये गये आंकलन की जानकारी से उपस्थित जन सामान्य को अवगत कराने का निर्देश दिया गया ।

राशि स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि श्री अखिलेश पी. सिंह, परियोजना के सलाहकार द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड आयरन एवं स्टील प्लांट – 1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 200 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट के संबंध में जन सामान्य को उद्योग एवं उद्योग से संभावित पर्यावरणीय स्थिति की जानकारी दी गई।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित इंटीग्रेटेड आयरन एवं स्टील प्लांट – 1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं 200 मेगावाट केप्टिव पॉवर प्लांट के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जन सुनवाई में आसपास के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित उद्योग के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक–एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां रखा। जन सामान्य द्वारा निम्नानुसार सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई :–

1. **श्री धीरेन्द्र कुमार दुबे, कृषक जन कल्याण समिति, पाराघाट भनेसर, बेलटुकरी** – माननीय कलेक्टर साहब को कि जो 12 बिन्दुओं पर हमने यहां पर प्लांट डालने के विषय पर आपत्ति लगाई है। प्रथम चर्चा पहले हो उसके पश्चात जो भी जन सुनवाई में अपना वक्तब्य देना चाहेगे। सर्वप्रथम मैं किसानों से पूछना चाहूंगा, क्या ये जो जन सुनवाई हो रही है उनके हित में है या नहीं। हम सभी सहमति जताते है कि ये जन सुनवाई स्थगित की जाए और किसानों के साथ जन प्रतिनिधियों को विश्वास में रख करके ही यह जन सुनवाई विधिवत प्रारंभ की जाए। आईटीआई का प्रशिक्षण हमारे बच्चों को कंपनी द्वारा कराये जाए उसका सारा खर्च कंपनी उठाये। राज्य के पुनर्वास और भूविस्थापन की जो नीति है उसको हम राज्य के औद्योगिक नीति के सलाहकार वकील के माध्यम से जो औद्योगिक नीति को जानते होंगे उनसे हम परामर्श करके करवाएंगे। दूसरा भूमि अधिग्रहण की प्रकिया है प्रशासनिक माध्यम से कृषक एवं कृषक विकास समिति के समक्ष सहमति होगी। किसी भी कंपनी को लगाने के लिए वहां पर आश्रित और आसपास जो गांव होते हैं उन प्रभावित ग्रामीणों को फैक्ट्री द्वारा सामाजिक विकास करने के लिए दिया जाता है। जिन किसानों की जमीन लेना है उनकी वो सब जन सुनवाई में उपस्थित रहे। हमने बारह बिन्दुओं पर जो आपत्ति लगाई है उस पहले चर्चा हो, उसके बाद जन सुनवाई हो। मैं इस जनसुनवाई का घोर विरोध करता हूं।

2. **श्री अखिलेश कुमार दुबे, पूर्व सरपंच पाराघाट एवं ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मस्तूरी**– आज जो जनसुनवाई हो रही है, जैसे कि मेरे श्री धीरेन्द्र दुबे द्वारा बोला गया कि उसका विरोध है। निश्चित तौर पर विरोधी हूं। उसका कारण आपको बताया जा रहा है। प्रथम बात तो यह कि जो जन

सुनवाई हो रही है, आदरणीय मैं जहां तक जानता हूं कि पाराघाट पंचायत से दो प्रतिशत व्यक्ति ही मौजूद नहीं हैं। दूसरी बात ये कि यहां जन सुनवाई में किसानों की आवश्यकता थी न कि युवा वर्ग की और न पेन्ट शर्ट धारियों की। कुलमिलाकर यहां जो जन सुनवाई हो रही है, मैं जहां तक सोचता हूं आदरणीय दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि प्रायः–प्रायः 75 प्रतिशत चेहरों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। यहां जन सुनवाई में जो सरपंच है, हमारे गांव के ग्राम पंचायत में 20 पंच होते हैं, आदरणीय यहां कितने पंचों की उपस्थिति है ये बताया जाये। उसके बाद यहां लगने वाले फैक्टरी मेसर्स राशि स्ट्रीप्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, इसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों का अनुमोदन होना जरूरी है। जो जन प्रतिनिधि बैठे है उनको बताया जाये कि वास्तव में जो प्रस्ताव है, सही है या नहीं। क्योकि जन सुनवाई यहां पाराघाट की है जन प्रतिनिधि हो जन प्रतिनिधि के नाम से आप आमंत्रित है आपका स्वागत है आपका सम्मान है। आप सभी को प्रणाम है। मगर मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं ये पाराघाट के नागरिक होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते, पूर्व सरपंच होने के नाते, कि इस कार्यवाही में कृप्रा करके, जो आये है सम्मानीय जन वो केवल सुने और सुनकर के उनको जो भी अपना अधिकार है। भाईचारा है, वो बनाये रखे। हम इस जन सुनवाई का पुरजोर विरोध करेंगे, और करते रहेंगे।

3. **श्री राजकुमार अंचल ग्राम–टिकारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी मेम्बर** – माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि यहां की जमीन पड़त बताई गई है। आपका अमला घुमाकर देखें और बताये कहां पर पडती जमीन है। उद्योग नीति का गलत उपयोग कर कृषि जमीन पर उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता। ये उद्योग नीति में प्रावधान है। यह मेरा पहला विरोध है यहां एक भी डिसमिल पड़त जमीन नहीं है। दूसरा विरोध है यहां पाराघाट में जो उद्योग स्थापित किया जा रहा है उसका प्रभाव हमारे मस्तूरी क्षेत्र में भी पड़ेगा न कि अकलतरा न कि बिलासपुर क्षेत्र में ही पड़ेगा और इस समस्या को हम लोग मस्तूरी क्षेत्र के लोग झेलेंगे। फिर यहां बाहरी व्यक्ति की आने की क्या जरूरत है। माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि जनसुनवाई तभी होगी जब बाहरी व्यक्ति को इस पंडाल से बाहर किया जाए। इतना कह कर मै अपना वाणी को विराम देता हूं।

4. **श्री राजेश्वर भार्गव, जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र कमांक 6 मस्तूरी ग्राम–टिकारी** – आज जो जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है ये अवैधानिक है इसमें जो आसपास के जितने भी ग्राम है पाराघाट, भनेसर, बेलटुकरी, खुडूभाठा ये किसी गांव में मुनादी नहीं करायी गयी है। जो 593 एकड़ का एग्रीमेंट बताया गया है उसकी रजिस्ट्री बताये है। वो रजिस्ट्री फर्जी है। इस जगह जो प्लांट लगना है उस जमीन खरीदी में कंपनी के द्वारा कृषि पर्पज के नाम से रजिस्ट्री करवाया गया है, उद्योग के नाम से नहीं। दूसरा यह है कि खारंग विभाग से खूटाघाट बांध से जो पानी की अनुमति है ये भी फर्जी है। शासन, प्रशासन को इनने गुमराह करके अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये है। जन सुनवाई कोरम पूरा करने के लिए नहीं बल्कि क्षेत्र के जो प्रभावित किसान है उनके व्यवस्थापन के लिए नीति जो बनाई है वो स्पष्ट होने चाहिए। इस जगह जो प्लांट लगाया जा रहा है, तथा लीलागर नदी का पानी लेने की बात की है वो सरासर गलत है। मैं इस क्षेत्र के जन प्रतिनिधि के नाते मैं भी इस पॉवर प्लांट जो लग रहा है इनका मैं विरोध करता हूं। जो जन सुनवाई है और जो कृषक विकास समिति और कल्याण समिति

पाराघाट के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को लिखित में ज्ञापन किसान के साथ जाकर दिया है उनका भी निराकरण नहीं हुए हैं उसके बाद यह जो जन सुनवाई हुआ उसका मैं घोर निंदा करता हूं इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं।

5. **श्री अतुल दुबे, कोयला कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, ग्राम–पाराघाट**– जितने भी जनप्रतिनिधि यहां पर जो आये सबका विरोध रहा निश्चित तौर यह मानकर चलना चाहिए शासन प्रशासन ने जन प्रतिनिधियों अतिथि के रूप में आमंत्रित किया सांसद, विधायक कोई यहां पर नहीं दिख रहें है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी के जो जीएम है काफी प्रभावपूर्ण भाषण दिया जानकारी भी कम्पलीट थी बधाई हो उनको। लेकिन अभी जो जानकारी मिली कि कंपनी मात्र 30–35 एकड़ जमीन खरीद पाई है । 593 एकड़ की जमीन जो शो कर रहे है ये सिर्फ दलालों के माध्यम से एग्रीमेंट प्रस्तुत कर रहे है कि दलाल उनके किसानों के पास जाकर जमीन खरीदने हैं खेती के लिए ये बरगला के जो एग्रीमेंट किये हैं वो एग्रीमेंट की कॉपी आपको दर्शाये जा रहे है। किसान को सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो उद्योग लगाने का यहां पर फायदा क्या है। स्टाप डेम बनेगा कि नहीं बनेगा, कंपनी बनाएगी कि शासन बनाएगी यह भी अभी तय नहीं है। मुआवजा राशि जमीन का आद्योगिक पूर्व का निर्धारण आपने कुछ भी प्रकाशन नहीं किया है। जमीन के मुआवजा राशि का निर्धारण ही नहीं किया गया है। विस्थापितों के लिए क्या कार्ययोजना है। फैक्ट्री एक्ट माइंस एक्ट में और जो फैक्ट्री जो लगना है। उनका आगे क्या योजनाएं हैं। बहुत सारी चीजें हैं जैसे सड़क यातायात पर दबाव बढ़ेगा प्रदूषण होगा। आपका उत्पाद 01 मीट्रिक टन का ढुलाई होगा उससे यातायात का दबाव बढ़ेगा सड़क की दुर्दशा हो जायेगी। सड़क अभी भी नहीं है पाराघाट भनेसर में ले दे के सड़क दिखती है आगे और क्या दुर्दशा होगी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं ये मांग करूंगा औद्योगिक मूल्य निर्धारण का प्रकाशन किया जाये। जो पड़त भूमि दिखाई गई उसका सही मूल्यांकन करके पटवारी आर. आई. से उसको कृषि भूमि के नाम से दर्ज करके उसका सही मुआवजा का प्रकाशन किया जावे। उसके बाद जनसुनवाई किया जावे।

6. **श्री प्रदीप कुमार सोनी, जिला पंचायत जांजगीर सदस्य, ग्राम–कोटमीसोनार** – आज ग्राम पाराघाट में प्रस्तावित पॉवर प्लांट स्टील प्लांट के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराने यहां आया हूं। जैसा कि विदित है कि आपके इस ग्राम पाराघाट के आगे ग्राम कोटमीसोनार है और हमारे गांव में मगरमच्छ जो कि विलुप्त संरक्षित वन्य प्राणी है। एक्ट 1972 एवं 1980 के प्रावधान के अनुसार वन्य जीव को संरक्षित करने का प्रावधान है। मगरमच्छ एक संरक्षित प्राणी है। ग्राम–कोटमीसोनार के पुरजोर मांग पर सरकार ने ग्राम कोटमी सोनार मे मगरमच्छ अभ्यारण्य आरक्षित की जो कि रिजर्व क्षेत्र घोषित होने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्तावित है। ऐसे रिजर्व एरिया जहां प्रस्तावित है उसके 10 किलोमीटर के परिधि में ऐसे प्रदुषण कारी उद्योग स्थापित करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उसके उपरांत भी हमारे मगरमच्छ आरक्षी केन्द्र से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर यह प्लांट प्रस्तावित हुआ है। इसका मैं अपने ग्राम कोटमीसोनार की ओर से पूरजोर विरोध करता हूं और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इस प्लांट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए और इसे 10 किलोमीटर दूर किसी अन्यत्र जगह पर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया जाये या अन्य व्यवस्था किया जावें। साथ ही इस प्लांट के

स्थापित होने पर ग्राम कोटमीसोनार जो जांजगीर–चांपा जिले में है। वहां से जो लीलागर नदी बहती है जो आपके ग्राम एवं हमारे ग्राम को जोडती है। उस जल का निस्तारी उपयोग कम हो जायेगा। चूंकि आपका औद्योगिक क्षेत्र भी पानी के लिए वह अब उद्योग इसका इस्तेमाल करेगा निश्चित तौर पर बड़े उद्योग लगाने पर पानी प्रदूषित होगा आपके उद्योग लगाने से पर्यावरण में जो प्रदुषण फैलेगी हमारे भी क्षेत्र के लोगों को उनके जीवन–यापन पर इसका असर पड़ेगा। सड़के जो अभी भी दयनीय है उसके पॉवर प्लांट या संयंत्र लगने से निश्चित तौर पर खराब होगी ओर बहुत सारे ऐसे कारण है जिनका वक्तव्य हमारे आगे आये भाइयों ने आपके सामने रखा है उस संदर्भ में पूरजोर विरोध करता हूं। पॉवर प्लांट की स्थापना में प्रभावित क्षेत्रवासियों को जो जन सुनवाई के पूर्व उद्योग के पूर्व पॉवर प्लांट की क्या रूप–रेखा होगी, पॉवर प्लांट में प्रभावित लोगों को क्या फायदा होगा, स्थानीय लोगों की क्या सहभागिता होगी, प्रस्तावित प्लांट के लिए जमीन्नों के मालिकों की क्या सहयोग है, भूविस्थापितों क्या कार्ययोजना प्रस्तावित की गयी है, क्या शासन के उद्योग नीति के अनुसार किया जा रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय और पर्यावरण के क्षेत्रीय अधिकारीगण से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके पूर्व जो जन सुनवाई की है आज जो विरोध किया है उसी तरह मैं भी विरोध करता हूं। मैं जन सुनवाई के पूर्व आपके प्रस्तावित पॉवर प्लांट की रूपरेखा हमारे क्षेत्र के लिए क्या होगी पता होना चाहिए तभी इस जन सुनवाई में आकर समर्थन और विरोध में बात कर सकेगा उद्योग नीति और उद्योग समर्थित अगर कोई बात करता है तो क्या जनता इसका विरोध नहीं करता बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसको आम जनता समझ नहीं पाते हैं अतः आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि कंपनी का पर्यावरण की अनुमति के लिए जो जनसुनवाई आप आयोजित किये हैं उसे गलत करार देता हूं इस क्षेत्र की जनता की मांगे और उनकी सहमति की उपरांत ही यह पर्यावरण की सहमति के लिए जन सुनवाई का आयोजन करें अन्यथा आज इस मंच के माध्यम से मैं इस प्रस्तावित प्लांट की स्थापना के लिए पूरजोर विरोध करता हूं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं।

7. **श्री धरम भार्गव, ग्राम–टिकारी विकासखंड मस्तुरी जिला बिलासपुर** – आज यहां जन सुनवाई में श्री अखिलेश भाई ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूं, मैं कड़ें शब्दों में इसका विरोध करता हूं, हम जो बोलने आये हैं कि किसानों की दुख दर्द को बोलने आये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां प्लांट के लिए किसानों से निराकरण करने के बाद लगे। मैं इस प्लांट का घोर निंदा करता हूं।

8. **श्री लक्ष्मी प्रसाद चन्द्राकर, ग्रामसभा अध्यक्ष ग्राम पंचायत बेलटुकरी** – यहां जो जन सुनवाई के कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बेलटुकरी का जमीन के सबंध में कलेक्टर महोदय के समक्ष अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2010 में राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है कि वाणिज्यिक और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण का कार्य किया जाता है उसमें राजपत्र में और पुनर्वास नीति, आवास नीति और मुआवजा की राशि या पर्यावरण आदि के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी है। उसका पालन सबसे पहले होना चाहिए। उसे प्लांट द्वारा जो पूर्व में ये सब बातें कही थी जो भी सरकार के नीति निर्मित है, वो सभी सुविधाएं हम ग्रामवासियों को दें। उद्योग लगाने के लिए अंधेरे में रखकर कृषि भूमि के नाम से खरीदी की है। हमसे किसी भी प्रकार की मुआवजा के किसी भी प्रकार की पुनर्वास की जानकारी के संबंध में कोई चर्चा

नहीं की गयी है। राशि स्ट्रीप्स स्टील प्लांट के द्वारा जो भी जमीन कय की गयी है और करायी जानी है उसकी उचित मुआवजा राशि प्रदान नहीं की गयी है। हमको उचित मुआवजा दिलाये। जो भी सरकार की नीति है जो भी औद्योगिक नीति है उसका पूर्ण रूप से पालन करने के बाद ही कुछ फैसला लें। जब तक हमको उचित मुआवजा नहीं मिल जाती तब तक हम इस जन सुनवाई का विरोध करते रहेंगें

9. **श्री सुरेन्द्र शर्मा, ग्राम–खैरा जयरामनगर**– माननीय कलेक्टर महोदय साहब तथा सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं क्या उद्योग के चिमनी से निकलने वाला धुआं हमारे गांव नहीं जाएगा जो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है।

अपर कलेक्टर द्वारा बार–बार अनुरोध किये जाने के उपरांत जब कोई अपनी आपत्ति/सुझाव/विचार दर्ज नहीं कराया। तब अपर कलेक्टर द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय मे से 07 के द्वारा लिखित में आपत्ति/सुझाव/विचार दिया गया, जिन्हे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पावती दी गई है। सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई है। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 250–300 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 09 वक्ताओं ने उद्योग स्थापना के संबंध में अपना सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त किये तथा उपस्थित जन समुदाय मे से 56 लोगो द्वारा अपनी उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई है।

अंत में अपर कलेक्टर द्वारा सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त घोषित की गई।

22.12

(डॉ0 सी0 बी0 पटेल)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ0ग0 पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

22/12/11

(टी. के. वर्मा)
अपर कलेक्टर,
जिला–बिलासपुर